

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नियमन / नविप्र / रेकार्ड / 2014 / 1713

दिनांक : 10/12/2014

वास्ते :-

मैसर्स एक्में बिल्ड स्टेट लि. जरिये डायरेक्टर श्री कमलेश जैन पिता श्री भंवरलाल जी जैन

निवासी - 4-5, सी-ब्लॉक, सबसिटी सेन्टर, सवीन सर्कल, उदयपुर (राज.)

विशय - राजस्व ग्राम देवाली गोवर्धन विलास के खसरा नम्बर 654, 660, 663 से 669 का आवासीय प्रयोजनार्थ रुपांतरित भूखण्ड संख्या 234 क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 235 क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट के संयुक्तिकरण बाबत।

प्रसंग - आपका आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम देवाली गोवर्धन विलास के खसरा नम्बर 654, 660, 663 से 669 का आवासीय प्रयोजनार्थ रुपांतरित भूखण्ड संख्या 234 क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट न्यास उदयपुर के पट्टा संख्या 579 दिनांक 30.12.2003 एवं भूखण्ड संख्या 235 क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट न्यास उदयपुर के पट्टा संख्या 593 दिनांक 30.12.2003 के अनुसार श्री शांतिलाल पिता स्व. श्री गमेरलाल जी जैन से श्रीमति उर्मिला देवी पत्नि श्री हनुमान सहाय जी खण्डेलवाल के नाम है। जो वर्तमान में नामान्तरण पत्र दिनांक 05.03.2014 से आप मैसर्स एक्में बिल्ड स्टेट लि. जरिये डायरेक्टर श्री कमलेश जैन पिता श्री भंवरलाल जी जैन के नाम अलेखों में दर्ज है, जिसका आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार अपने नाम संयुक्तिकरण चाहा गया है।

उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्या 234 क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 235 क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट का संयुक्तिकरण संलग्न मानचित्र अनुसार निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	संयुक्तिकरण भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1.	मैसर्स एक्में बिल्ड स्टेट लि. जरिये डायरेक्टर श्री कमलेश जैन पिता श्री भंवरलाल जी जैन	234 व 235	10000.00

संलग्न मानचित्र इस संयुक्तिकरण पत्र का अभिन्न अंग रहेगा एवं उक्त संयुक्तिकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-

1. संयुक्तिकरण भूखण्डों की लीज डीड पर लगायी गयी समस्त शर्तें यथावत रहेगी।
2. संयुक्तिकरण भूखण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा न्यास द्वारा कोई शर्तें लगाई जावेगी तो उसकी पालना करना अनिवार्य होगा।
3. संयुक्तिकरण भूखण्डों का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ही करना होगा। तथा निर्माण करते समय नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर स्वीकृति अनुसार समस्त शर्तें पूरी करते हुए ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
4. संयुक्तिकरण भूखण्डों पर आवासीय कारतामीर नियमानुसार न्यास द्वारा स्वीकृति अनुसार ही कराना होगा।
5. संयुक्तिकरण भूखण्ड के सम्बन्ध में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप-विभाजन, पुर्नगठन एवं सुधार) नियम, 1975 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 19.02.2010 के अन्तर्गत पुर्नगठित भूखण्ड के तकनीकी मानदण्ड भवन विनियम 2011 की पालना करनी होगी।
6. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर स्वीकृत संयुक्तिकरण न्यास द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपी :-

1. ड्राईंग शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।


(रामनिवास मेहता)

सचिव

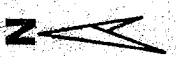
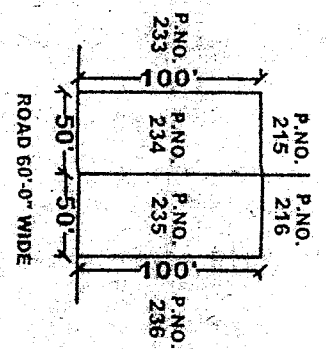
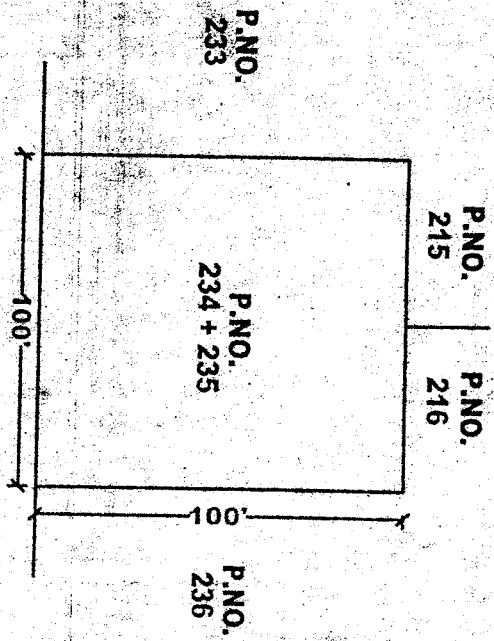
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

सचिव

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

PROPOSED RE-CONSTITUTION PLAN OF PLOT NO.-234 , 235 , KH. NO.- 654, 660, 663 TO 669, REV. VILLAGE DEVALI GOVERDHAN VILLAS, UDAIPUR.

SCALE= 1"= 50'0"



**EXISTING SITE PLAN
SCALE - 1"= 100'0"**

PLOT NO.- 234

PLOT SIZE, = 50'-0" X 100'-0"

PLOT AREA = 5,000.00 SQ.FT.

PLOT NO.- 235

PLOT SIZE, = 50'-0" X 100'-0"

PLOT AREA = 5,000.00 SQ.FT.

RE-CONSTITUTE PLOT NO.- 234 + 235

RE-CONSTITUTE PLOT SIZE, = 100'-0" X 100'-0"

RE-CONSTITUTE PLOT AREA = 10,000.00 SQ.FT.

NAME OF OWNER :-

**M/S. AKME BUILD STATE LTD., LTD. THROUGH DIRECTOR
SH. KAMLESH JAIN S/O SH. BHANWAR LAL JI JAIN**

For AKME BUILDSTATE LTD.

DIRECTOR

CHECKED BY *(Signature)*
(सतीश श्रीमाली)
सतीश श्रीमाली
D.T.P.

भजन सिंह
भजन सिंह
भजन सिंह

SIGN. OF OWNER :-